

**अनुदान संख्या 95 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**  
**GRANT No. 95 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	1,00	94	-6
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1775,11,00		
		1896,31,00	1882,22,96	- 14,08,04
पूरक	Supplementary	121,20,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted -	387,69,00	363,96,17	-23,72,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			14,80,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचते (₹1408.04 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹12120.00 लाख के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1408.04 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of ₹12120.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत  
हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the  
following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
<b>क - गृह मंत्रालय</b>	<b>A-Ministry of Home Affairs</b>			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice			
मू.	O. 427.00	612.76	526.45	-86.31
पू.	S. 127.00			
पु.	R. 58.76			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O. 2825.00	2920.48	2877.20	-43.28
पु.	R. 95.48			
<b>ख - कृषि मंत्रालय</b>	<b>B - Ministry of Agriculture</b>			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O. 3493.00	2735.90	2535.63	-200.27
पू.	S. 222.00			
पु.	R. -979.10			
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"			
पशु पालन	Animal Husbandry			
मू.	O. 1766.00	2296.00	2203.21	- 92.79
पू.	S. 550.00			
पु.	R. - 20.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
<b>ग - ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>C - Ministry of Rural Development</b>			
मुख्य शीर्ष "2029"	Major Head "2029"			
भू राजस्व	Land Revenue			
मू.	O. 434.00	540.78	540.10	-0.68
पु.	R. 106.78			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O. 2630.00	2485.00	2476.88	-8.12
पु.	R. -145.00			
<b>घ - विद्युत मंत्रालय</b>	<b>D - Ministry of Power</b>			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O. 23700.00	27703.64	27616.02	-87.62
पू.	S. 5000.00			
पु.	R. -996.36			
<b>च - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	<b>F - Ministry of Environment and Forests</b>			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"			
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life			
मू.	O. 8545.00	9251.05	9207.88	-43.17
पू.	S. 791.00			
पु.	R. -84.95			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
<b>झ - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>I - Ministry of Health and Family Welfare</b>			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O. 9379.00	10882.24	10783.31	-98.93
पू.	S. 345.00			
पु.	R. 1158.24			
<b>ज - विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग</b>	<b>J - Department of School Education and Literacy</b>			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O. 13709.00	15230.04	15199.39	-30.65
पू.	S. 1200.00			
पु.	R. 321.04			
<b>ट - उच्चतर शिक्षा विभाग</b>	<b>K - Department of Higher Education</b>			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O. 10557.00	11465.77	11282.39	-183.38
पू.	S. 705.00			
पु.	R. 203.77			
<b>द - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>R - Ministry of Road Transport and Highways</b>			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"			
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges			
मू.	O. 6987.00	6894.00	6890.55	-3.45
पू.	S. 68.00			
पु.	R. -161.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"			
सड़क परिवहन	Road Transport			
मू.	O.	2687.00		
पू.	S.	238.00	3195.70	3181.07
पु.	R.	270.70		-14.63
<b>ध - पोत परिवहन मंत्रालय</b>	<b>S - Ministry of Shipping</b>			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"			
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses			
मू.	O.	9022.00		
			8316.42	8356.26
पु.	R.	- 705.58		+39.84
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"			
जहाजरानी	Shipping			
मू.	O.	27436.00		
			27751.00	27733.25
पु.	R.	315.00		-17.75
<b>प - नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>U - Ministry of Civil Aviation</b>			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"			
नागर विमानन	Civil Aviation			
मू.	O.	3334.00		
			3557.27	3556.79
पु.	R.	223.27		-0.48
<b>भ - शहरी विकास विभाग</b>	<b>X - Department of Urban Development</b>			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	1257.00		
			1025.00	1018.02
पु.	R.	-232.00		-6.98

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
य - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	Z – Ministry of Social Justice and Empowerment			
मुख्य शीर्ष “2235”	Major Head “2235”			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	632.00	825.91	795.61
पु.	R.	193.91		-30.30

(I) ₹324.46 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹324.46 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष “2014” - “सिविल और सत्र न्यायालय-सत्र न्यायालय” - ₹167.27 लाख के मूल प्रावधान को ₹40.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹207.27 लाख कर दिया गया तथापि, जो शेट्टी आयोग की सिफारिश लागू न किए जाने के कारण ₹13.15 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head “2014” - “Civil and Session Courts – Sessions Courts” - the original provision of ₹167.27 lakhs was augmented to ₹207.27 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹13.15 lakhs - due to non-implementation of recommendation of the Shetty Commission.

(खा) मुख्य शीर्ष “2401” -

(B) Major Head “2401” -

(क) “वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण स्कीम” - ₹165.05 लाख के मूल प्रावधान को ₹37.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹202.05 लाख कर दिया गया तथापि, जो लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण ₹16.79 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) “Plant Protection – Plant Protection Scheme” - the original provision of ₹165.05 lakhs was augmented to ₹202.05 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹37.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹16.79 lakhs - due to non-receipt of application from beneficiaries.

- (ख) “निदेशन और प्रशासन - कृषि निदेशालय” - ₹458.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹88.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹546.10 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹21.07 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (ग) “बागवानी और वनस्पति फसलें - बागवानी और वनस्पति फसलों का विकास” - ₹145.35 लाख के मूल प्रावधान को ₹24.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹169.35 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹7.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और
- (गा) मुख्य शीर्ष “2403” -
- (क) “चारा चरागाह विकास - चारा विकास कार्यक्रम” - ₹88.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹37.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹125.10 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹18.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “गाय और भैंस विकास - गाय और भैंस विकास कार्यक्रम”- ₹406.59 लाख के मूल प्रावधान को ₹67.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹473.59 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चारे और औषधि की कम मांग होने और निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹48.06 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (ग) “कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास कार्यक्रम”- ₹398.75 लाख के मूल प्रावधान को ₹80.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹478.75 लाख कर दिया गया जो, तथापि, समूह ‘ग’ कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड वेतन/संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति
- (b) “Direction and Administration – Directorate of Agriculture” - the original provision of ₹458.10 lakhs was augmented to ₹546.10 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹88.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹21.07 lakhs;
- (c) “Horticulture and Vegetable Crops – Development of Horticulture and Vegetable Crops” - the original provision of ₹145.35 lakhs was augmented to ₹169.35 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹24.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7.00 lakhs; and
- (C) Major Head “2403” -
- (a) “Fodder Feed Development - Fodder Development Programme” - the original provision of ₹88.10 lakhs was augmented to ₹125.10 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹37.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹18.08 lakhs.
- Savings under the above three heads were due to non-payment of arrears of modified assured career progression scheme.
- (b) “Cattle and Buffalo Development - Cattle and Buffalo Development Programme”- the original provision of ₹406.59 lakhs was augmented to ₹473.59 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹67.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹48.06 lakhs - due to less requisition of feed and medicine and non-finalisation of tender.
- (c) “Poultry Development - Poultry Development Programme - the original provision of ₹398.75 lakhs was augmented to ₹478.75 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹80.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹12.90 lakhs - due to non-

स्कीम की बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण ₹12.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

payment of upgraded grade pay to group "C" employees/arrears of modified assured career progression scheme.

(घा) मुख्य शीर्ष "2406" - "वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भव - वन और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली का रक्षण" - ₹267.86 लाख के मूल प्रावधान को ₹124.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹391.86 लाख कर दिया गया जो, तथापि, कर्मचारियों की संशोधित आशवासित करियर प्रोन्नति की बकाया राशि को अंतिम रूप न दिए जाने और श्रमिकों को कम नियुक्त किए जाने के कारण ₹17.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) Major Head "2406" - "Forestry - Forest Conservation, Development and Regeneration - Protection of Forest and Coastal Eco-System" - the original provision of ₹267.86 lakhs was augmented to ₹391.86 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹124.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹17.85 lakhs - due to non-finalisation of modified assured career progression scheme arrears of employees and less employment of labours.

(ड) मुख्य शीर्ष "2202" - "माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान" - ₹380.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹73.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹453.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, सहायताप्राप्त विद्यालयों को उपदान की अदायगी सहायता अनुदान के स्थान पर पेंशन शीर्ष से किए जाने के कारण ₹36.39 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) Major Head "2202" - "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants-in-aid to Private Schools" - the original provision of ₹380.00 lakhs was augmented to ₹453.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹73.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹36.39 lakhs - due to payment of gratuity to aided schools from pension head instead of Grants-in-aid.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" - "होम गार्ड - स्थापना" के अंतर्गत ₹117.10 लाख की बचत (₹987.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा/यात्रा भत्ता दावे प्राप्त न होने और होम गार्डों की कोई नई भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2070" - "Home Guards - Establishment" - saving of ₹117.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹987.93 lakhs) was due to non-receipt of medical/travelling allowance claims and no new enrollments of Home Guards.

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अंतर्गत ₹1083.09 लाख की बचत (₹1334.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने, एकीकृत विस्तार सेवा परिसर के निर्माण के लिए भूमि आबंटित न किए जाने, विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2401" - "Other Expenditure - Rashtriya Krishi Vikas Yojana" - saving of ₹1083.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1334.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders, non-allotment of land for construction of Integrated Extension Service Complex, non-finalisation of various projects and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - पाइप द्वारा ग्रामीण जल पूर्ति" के अंतर्गत ₹153.12 लाख की बचत (₹1930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(V) Under Major Head "2215" - "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Rural Piped Water Supply" - saving of ₹153.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1930.00 lakhs) was

में) निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने, बिलों के प्राप्त न होने और निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2801” - “डीजल/गैस विद्युत उत्पादन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अन्य व्यय - विद्युत की खरीद” - ₹8177.85 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग द्वारा पेट्रोल, तेल और स्नेहक की पूर्ति किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) “फीनिक्स खाड़ी में बिजली घर - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य” - ₹380.91 लाख की बचत (₹1057.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों की अधिप्राप्ति में विलम्ब होने और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “चाथम में विद्युत संयंत्र - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य” - ₹410.80 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “2406” - “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - वन्य जीव संरक्षण” के अंतर्गत ₹208.08 लाख की बचत (₹1984.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आशवासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - सर्व शिक्षा अभियान” - ₹252.16 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - संघ राज्य क्षेत्र का भाग” - ₹120.28 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

due to slow progress of works, non-receipt of bills and delay in finalization of tender.

(VI) Under Major Head “2801”- “Diesel/Gas Power Generation” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Expenditure – Purchase of Power”- saving of ₹8177.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to supply of POL by the Department and economy measures.

(B) “Power House at Phoenix Bay - Power Plant and Ancillary Works” - saving of ₹380.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1057.77 lakhs) was due to delay in procurement of stores and non-finalisation of tenders.

(C) “Power House at Chatham – Power Plant and Ancillary Works” - saving of ₹410.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-receipt of Directorate General of Supplies and Disposals claims.

(VII) Under Major Head “2406” – “Environmental Forestry and Wild Life – Wild Life Preservation – Wildlife Protection” - saving of ₹208.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1984.79 lakhs) was due to non-finalisation of modified assured career progression scheme arrears.

(VIII) Under Major Head “2202”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Elementary Education – Other Expenditure – Sarva Shiksha Abhiyan” - saving of ₹252.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs); and

(B) “Secondary Education – Government Secondary Schools – Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan – UT Share - saving of ₹120.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य अनुदान के प्रतिबंध की वजह से प्रस्तावित केंद्रीय अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) “विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - डिग्री कालेज मायाबंदर” - ₹101.56 लाख की बचत (₹323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत/टेलीफोन/जल प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(IX) मुख्य शीर्ष “3054” - “जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - ग्रामीण सड़कें” के अंतर्गत ₹302.97 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने, बिलों की प्राप्ति न होने, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(X) मुख्य शीर्ष “3051” - “लघु पत्तन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “पत्तन प्रबंधन - पत्तन स्थापना” - ₹588.89 लाख की बचत (₹2015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “जलयान पर माल लादना या उतारना - अंडमान श्रमिक बल” - ₹268.61 लाख की बचत (₹772.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम की बकाया राशियों को अंतिम रूप न दिए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, दौरे और स्थानांतरण के यात्रा भत्ते बिल कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(XI) मुख्य शीर्ष “2215” - “जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र को जल पूर्ति कार्यक्रम” के अंतर्गत ₹238.98 लाख की बचत (₹982.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(XII) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹559.80 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थीं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposed Central Grant owing to restriction of State Grant.

(C) “University Higher Education – Government College and Institutes – Degree College Mayabunder” - saving of ₹101.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹323.00 lakhs) was due to non-receipt of electric/telephone/water charges bills.

(IX) Under Major Head “3054”- “District and Other Roads – Road Works – Rural Roads” - saving of ₹302.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of bills, delay in finalization of tenders and economy measures.

(X) Under Major Head “3051”-“Minor Ports”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Port Management – Port Establishment”- saving of ₹588.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2015.00 lakhs); and

(B) “Stevedoring – Andaman Labour Force” - saving of ₹268.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹772.50 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of modified assured career progression scheme arrears and receipt of less leave travel concession, tour and transfer travelling allowance bills.

(XI) Under Major Head “2215” - “Water Supply– Urban Water Supply Programme – Water Supply Programme to Port Blair Municipal Area” - saving of ₹238.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹982.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(XII) Under eight heads savings of ₹559.80 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7993.79 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2801” - “डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य बिजली घर - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य” - ₹7827.45 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7808.57 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3054” - “जिला और अन्य सड़कें” -

(क) “जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतें - जिला परिषद” - ₹99.67 लाख।

(ख) “ब्लाक पंचायत/मध्यम स्तरीय पंचायतें - पंचायत समिति” - ₹66.67 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2070” - “अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण-बचाव और नियंत्रण” - ₹183.55 लाख का अधिक व्यय (₹1583.03 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि, संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति संबंधी बकाया राशि आहरित किए जाने और अग्निशमन सेवा कार्मिकों के लंबित यात्रा भत्तों के दावों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2029” - “सर्वेक्षण और निपटान कार्य - सर्वेक्षण और निपटान” - ₹106.10 लाख का अधिक व्यय (₹434.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष “2801” - “पारेषण और वितरण - पोर्ट ब्लेयर में पारेषण और वितरण - विद्युत वितरण” - ₹111.72 लाख का अधिक व्यय (₹1913.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

2.(I) The above savings were partly (₹7993.79 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2801” - “Diesel/ Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works” - ₹7827.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹7808.57 lakhs.

(B) Major Head “3054” - “District and Other Roads” -

(a) “Zilla Parishad/District Level Panchayats-Zilla Parishad” - ₹99.67 lakhs.

(b) “Block Panchayats/Intermediate Level Panchayats - Panchayat Samiti” - ₹66.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2070” - “Fire Protection and Control - Protection and Control” - excess of ₹183.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1583.03 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance, drawal of modified assured career progression scheme arrears and clearance of pending travelling allowance claims of Fire Service Personnel.

(B) Major Head “2029” - “Surveys and Settlement Operations - Survey and Settlement” - excess of ₹106.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹434.00 lakhs);

(C) Major Head “2801” - “Transmission and Distribution - Transmission and Distribution at Port Blair - Power Distribution” - excess of ₹111.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1913.99 lakhs); and

(घ) मुख्य शीर्ष “2406” - “वानिकी - वन उत्पाद - लकड़ी का परिवहन” - ₹119.02 लाख का अधिक व्यय (₹347.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1360.12 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संशोधित आश्वासित करियर प्रोग्रति स्कीम संबंधी बकाया राशि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ड) मुख्य शीर्ष “2210” -

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी” -

(i) “निर्देशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय” - ₹116.42 लाख का अधिक व्यय (₹887.18 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी वेतन, ग्रेड वेतन संबंधी बकाया राशियों, संशोधित आश्वासित करियर प्रोग्रति स्कीम संबंधी बकाया राशियों और चिकित्सा दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) “अस्पताल तथा औषधालय - जी. बी. पंत अस्पताल” - ₹530.64 लाख का अधिक व्यय (₹291.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3571.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम” - ₹166.17 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2269.85 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संशोधित आश्वासित करियर प्रोग्रति स्कीम/ग्रेड वेतन संबंधी बकाया राशियों और स्थानीय/मुख्य भूमि फर्म को चिकित्सा बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head “2406” – “Forestry – Forest Produce – Transportation of Timber” – excess of ₹119.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1360.12 lakhs including supplementary grant of ₹347.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears.

(E) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services – Allopathy”-

(i) “Direction and Administration – Directorate of Health Services” – excess of ₹116.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹887.18 lakhs) was due to requirement of additional funds towards leave salaries, Grade Pay arrears, modified assured career progression scheme arrears and settlement of medical claims

(ii) “Hospital and Dispensaries – G.B. Pant Hospital” - excess of ₹530.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3571.30 lakhs including supplementary grant of ₹291.00 lakhs); and

(b) “Rural Health Services – Allopathy – Primary Health Centres – Primary Health Scheme” - excess of ₹166.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2269.85 lakhs including supplementary grant of ₹50.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme/Grade Pay arrears and settlement of medical bills to local/mainland firm.

(चा) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “प्रारंभिक शिक्षा” -

(i) “सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा” - ₹425.10 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹12805.67 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य स्कीमें” - ₹154.81 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹610.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों, दौरों और स्थानांतरण दावों के लंबित बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर” - ₹209.33 लाख का अधिक व्यय (₹179.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1051.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों, छुट्टी यात्रा रियायत के लंबित बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष “3055” - “सरकारी परिवहन सेवाएं - प्रचालन” - ₹203.91 लाख का अधिक व्यय (₹238.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2721.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पेट्रोल, तेल और स्नेहक की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(जा) मुख्य शीर्ष “3051” - लघु पत्तन - गोदीबाड़ा तथा शुष्क नौघाट - सरकारी गोदी बाड़ा” - ₹247.93 लाख का अधिक व्यय (₹4225.34 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों और एएलएचडब्ल्यू द्वारा शुष्क नौघाटों और गोदीबाड़ा परिसरों में चालू

(F) Major Head “2202” -

(a) “Elementary Education” -

(i) “Government Primary Schools - Primary Education” - excess of ₹425.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12805.67 lakhs including supplementary grant of ₹1100.00 lakhs); and

(ii) “Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes” - excess of ₹154.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹610.00 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears, pending bills of tour and transfer claim.

(b) “University Higher Education - Government College and Institutes - Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair” - excess of ₹209.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1051.15 lakhs including supplementary grant of ₹179.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears and pending bills of leave travel concession.

(G) Major Head “3055” - “Government Transport Services - Operation” - excess of ₹203.91 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2721.30 lakhs including supplementary grant of ₹238.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears and increase in cost of POL.

(H) Major Head “3051” - “Minor Ports - Dockyards and Dry-docking - Government Dockyard” - excess of ₹247.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4225.34 lakhs) was due to requirement of additional funds towards

निर्माण कार्य पूरा किए जाने/रख-रखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(झा) मुख्य शीर्ष “3052” - “तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं - अंतर द्वीपीय पोतों का प्रचालन प्रभार” - ₹271.00 लाख का अधिक व्यय (₹7080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागीय पोतों की मरम्मत/रख रखाव के लिए भंडारों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ज) मुख्य शीर्ष “3053” - “हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - वायुयानों का प्रचालन और रख-रखाव” - ₹122.82 लाख का अधिक व्यय (₹1234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों पर कर्मचारी रखे जाने और उनकी रख रखाव लागत और विद्युत/जल प्रभारों/अधिक लेखन सामग्री की खरीद किए जाने और अन्य आकस्मिक बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(टा) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण - वृद्ध, अशक्त और निस्सहायों का कल्याण - कल्याण स्कीमें” - ₹197.43 लाख का अधिक व्यय (₹381.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने/वेतन वृद्धि/संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकाया राशियों की वजह से वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹367.53 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

modified assured career progression scheme arrears and to complete the ongoing civil works/maintenance of dry rocks and dockyard complexes by ALHW.

(I) Major Head “3052” – “Coastal Shipping - Shipping Services – Operational Charges of Inter-Islands Vessels” - excess of ₹271.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7080.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of stores and spares for repair/maintenance of Departmental Vessel.

(J) Major Head “3053” – “Air Services – Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Craft” - excess of ₹122.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1234.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards manning and maintenance cost of vessels and electric/water charges/purchase of more stationery and other contingent bills.

(K) Major Head “2235” – “Social Welfare – Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Welfare Schemes” - excess of ₹197.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹381.55 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries owing to sanction of dearness allowance/increment/modified assured career progression scheme arrears and increase in widow pension/old age pension.

(III) Under five heads excess of ₹367.53 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 41 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
<b>ख - कृषि मंत्रालय</b>	<b>B - Ministry of Agriculture</b>			
मुख्य शीर्ष "4401"	Major Head "4401"			
फसल कृषि कर्म	Capital Outlay on Crop Husbandry			
पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	O. 343.00	282.00	173.93	-108.07
पु.	R. - 61.00			
<b>ग - ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>C - Ministry of Rural Development</b>			
मुख्य शीर्ष "4215"	Major Head "4215"			
जलपूर्ति तथा सफाई पर	Capital Outlay on			
पूंजीगत परिव्यय	Water Supply and Sanitation			
मू.	O. 2500.00	2478.00	2438.63	-39.37
पु.	R. - 22.00			
<b>घ - विद्युत मंत्रालय</b>	<b>D - Ministry of Power</b>			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"			
विद्युत परियोजनाओं	Capital Outlay on			
पर पूंजीगत	Power Projects			
परिव्यय				
मू.	O. 1302.00	1519.64	1321.39	- 198.25
पु.	R. 217.64			
<b>द - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>R - Ministry of Road Transport and Highways</b>			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"			
सड़कों तथा सेतुओं पर	Capital Outlay on			
पूंजीगत परिव्यय	Roads and Bridges			
मू.	O. 9192.00	7265.36	7140.84	- 124.52
पु.	R. -1926.64			

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

अधिक व्यय +  
Excess +  
बचत-  
Saving -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	100.00			
			321.17	321.05	-0.12
पु.	R.	221.17			
<b>ध - पोत परिवहन मंत्रालय</b>	<b>S - Ministry of Shipping</b>				
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	1089.00			
			1434.22	1432.00	-2.22
पु.	R.	345.22			
<b>फ - पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>V - Ministry of Tourism</b>				
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"				
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	1120.00			
			258.00	210.43	-47.57
पु.	R.	- 862.00			
<b>भ-शहरी विकास विभाग</b>	<b>X - Department of Urban Development</b>				
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	420.00			
			210.00	211.76	+1.76
पु.	R.	- 210.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O. 1775.00	2099.97	2097.61	-2.36
पु.	R. 324.97			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O. 1814.00	1562.00	1550.20	-11.80
पु.	R. -252.00			
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation			
मू.	O. 1297.00	1065.00	1065.00	..
पु.	R. -232.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 3995.00	5756.90	5605.88	-151.02
पु.	R. 1761.90			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"			
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development			
मू.	O.	327.00		
			94.00	94.00
पु.	R.	-233.00		..
मुख्य शीर्ष "4403"	Major Head "4403"			
पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Animal Husbandry			
मू.	O.	400.00		
			372.00	368.63
पु.	R.	- 28.00		-3.37
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"			
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	275.00		
			440.00	405.45
पु.	R.	165.00		-34.55
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"			
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport			
मू.	O.	250.00		
			368.00	363.92
पु.	R.	118.00		-4.08

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
<b>म - जल संसाधन मंत्रालय</b>	<b>Y - Ministry of Water Resources</b>				
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"				
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	961.00	505.00	481.60	-23.40
पु.	R.	- 456.00			

(I) ₹257.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹257.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4401" - "खाद और उर्वरक - खाद और उर्वरकों की खरीद" के अंतर्गत ₹103.11 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद और उर्वरकों के मुख्य भूमि से प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4401" - "Manures and Fertilizers - Purchase of Manures and Fertilizers" - saving of ₹103.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to delay in receipt of Manures and Fertilizers from mainland.

(III) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - जनजातीय क्षेत्रों में जल पूर्ति" के अंतर्गत ₹149.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दक्षिणी समूह के द्वीपों में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4215" - "Water Supply - Tribal Area Sub-Plan - Water Supply in Tribal Areas" - saving of ₹149.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to slow progress of work in southern group of Islands.

(IV) मुख्य शीर्ष "4801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन-उच्चत - माल की खरीद" के अंतर्गत ₹146.36 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation - Suspense - Purchase of Stock" - saving of ₹146.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of bills.

(V) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(V) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(क) "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य" -

(a) "District and Other Roads - Road Works" -

(i) “जिला सड़कें” - ₹499.72 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “ग्रामीण सड़कें” - ₹250.09 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) “सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - ₹1306.78 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह और कैम्पबेल खाड़ी में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “5052” - “सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - पोतों की खरीद” के अंतर्गत ₹150.54 लाख की बचत (₹164.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा नए पोतों के अधिग्रहण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “5452” - “पर्यटन अवसंरचना - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - ₹911.74 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्यटन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “4070” - “अन्य व्यय - भवन” के अंतर्गत ₹208.24 लाख की बचत (₹420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IX) मुख्य शीर्ष “4210” - “सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत ₹179.02 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) “District Roads” – saving of ₹499.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs); and

(ii) “Rural Roads” – saving of ₹250.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of road works.

(b) “General - Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” - saving of ₹1306.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to slow progress of work in Great Nicobar Islands and Campbell Bay.

(VI) Under Major Head “5052”-“General – Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships” - saving of ₹150.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹164.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for acquisition of new vessels by Shipping Corporation of India.

(VII) Under Major Head “5452”- “Tourism Infrastructure – Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” - saving of ₹911.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of various tourism related projects under Tsunami rehabilitation programmes.

(VIII) Under Major Head “4070” – “Other Expenditure – Building” – saving of ₹208.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹420.00 lakhs);

(IX) Under Major Head “4210” – “General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” – saving of ₹179.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs);

(X) मुख्य शीर्ष “4215” - “जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति- शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति” के अंतर्गत ₹232.00 लाख की बचत (₹1297.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XI) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - जनजातीय उप क्षेत्र योजना - भवन” के अंतर्गत ₹158.10 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XII) मुख्य शीर्ष “4403” - “अन्य व्यय - भवन” के अंतर्गत ₹130.10 लाख की बचत (₹327.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(XIII) मुख्य शीर्ष “4711” - “समुद्र अपरदन रोधी परियोजना- सिविल निर्माण कार्य - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत ₹372.67 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(XIV) मुख्य शीर्ष “4217” - “अन्य शहरी विकास स्कीमें - निर्माण - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में सड़क से दूर नालियों का निर्माण” के अंतर्गत ₹175.00 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने, सामग्रियां प्राप्त न होने और निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(XV) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹700.73 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1600.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4216” - “सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1448.77 लाख था।

(X) Under Major Head “4215” – “Water Supply – Urban Water Supply – Water Supply to Urban Areas” – saving of ₹232.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1297.00 lakhs);

(XI) Under Major Head “4216” – “Government Residential Buildings – Tribal Area Sub-Plan – Building” – saving of ₹158.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs);

(XII) Under Major Head “4403” – “Other Expenditure – Buildings” - saving of ₹130.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹327.00 lakhs); and

(XIII) Under Major Head “4711” - “Anti-Sea Erosion Project - Civil Works – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes” – saving of ₹372.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to slow progress of works.

(XIV) Under Major Head “4217” - “Other Urban Development Schemes – Construction – Construction of Non-Road side Drain in Port Blair Area” – saving of ₹175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to slow progress of work, non-receipt of materials and delay in finalisation of tenders.

(XV) Under ten heads savings of ₹700.73 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 25 percent to 89 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (₹1600.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head “4216” – “General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme”. Actual excess, however, was ₹1448.77 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “4215” - “जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति- ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति” - ₹119.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दक्षिण अंडमान क्षेत्र में कार्यों की तीव्र प्रगति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “5054” - “राज्य राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान मुख्य मार्ग” - ₹110.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क निर्माण कार्य में तीव्र प्रगति होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “5055” - “बेड़े का अधिग्रहण - सड़क परिवहन के लिए बसों की खरीद” - ₹221.05 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक मशीनरी और उपस्करों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “5052” - “सामान्य - टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - पोतों की खरीद” - ₹493.54 लाख का अधिक व्यय (₹925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोत की मुख्य मरम्मत के लिए अधिप्राप्त की गई मशीनरी और उपस्करों के बकाया बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष “4202” - “सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन” - ₹216.53 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(चा) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - भवन” - ₹320.21 लाख का अधिक व्यय (₹795.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(छा) मुख्य शीर्ष “5052” - “सामान्य - अन्य व्यय - भवन” - ₹110.23 लाख का अधिक व्यय (₹265.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “4215” - “Water Supply - Rural Water Supply - Water Supply in Rural Areas”- excess of ₹119.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards accelerated progress of works in South Andaman Area.

(B) Major Head “5054” - “State Highways - Road Works - Andaman Trunk Road”- excess of ₹110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to accelerated progress in construction of road works.

(C) Major Head “5055”- “Acquisition of Fleet- Purchase of Buses for Road Transport” - excess of ₹221.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of more machinery and equipments.

(D) Major Head “5052” - “General - Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships” - excess of ₹493.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹925.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of outstanding bills of machinery and equipment procured for major repairs of vessel.

(E) Major Head “4202”- “General Education- Secondary Education - Buildings” - excess of ₹216.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(F) Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Building” - excess of ₹320.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹795.00 lakhs);

(G) Major Head “5052” - “General - Other Expenditure - Buildings”- excess of ₹110.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹265.00 lakhs); and

(जा) मुख्य शीर्ष “5055” - “भूमि और भवन - भवन” - ₹113.92 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यों की तीव्र प्रगति/अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

(III) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹554.91 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 165 प्रतिशत तक था।

(H) Major Head “5055” - “Land and Buildings-Buildings” - excess of ₹113.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to accelerated progress of works/ execution of more works.

(III) Under seven heads excess of ₹554.91 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 11 percent to 165 percent of the sanctioned provision.